स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें और निबंधन

1. नियुक्ति

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), जो भारत सरकार का प्रशासनिक मंत्रालय है, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के चयन के प्रस्ताव की पहल करता है । यह चयन, एक सर्च समिति, जिसमें सचिव (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) - अध्यक्ष; सचिव, लोक उद्यम विभाग; सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और दो गैर-सरकारी सदस्य होते हैं, द्वारा किया जाता है। सर्च समिति की सिफारिशों पर, मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नामों को अंतिम रूप देता है और अनुमोदित करता है।

2. कार्यकाल

स्वतंत्र निदेशक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अगले आदेश (आदेशों) की शर्त के अधीन आमतौर पर तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं । आमतौर पर स्वतंत्र निदेशक, पद की अगली अवधि के लिए पुन: नियुक्त नहीं किए जाते।

3. पारिश्रमिक

(क) स्वतंत्र निदेशकों को, किसी मासिक/निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता। तथापि, उन्हें उनकी उपस्थिति की शर्त के अधीन 40,000/- रुपए प्रति बोर्ड बैठक और 30,000/- रुपए प्रति समिति बैठक का भुगतान किया जाता है।

(ख) सरकारी ड्यूटी के संबंध में सवारी, ठहरने और भोजन तथा सरकारी निदेशकों द्वारा किए गए इसी प्रकार के अन्य खर्चों सहित सभी खर्चों का भुगतान/ प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा की जाती है।

4. भर्ती और प्रशिक्षण

स्वतंत्र निदेशकों को औपचारिक भर्ती प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें संगठनात्मक ढांचे, उत्पादन सुविधाओं, कंपनी के व्यवसाय और प्रचालनात्मक वातावरण से परिचित होने में समर्थ बनाया जा सके। इसके अलावा, उन्हें लोक उद्यम विभाग और भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान सहित बाह्य एजेंसियों द्वारा समय-समय पर आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाता है।